न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 049 / 2019

1. स्टेट आफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

— :बनामः —

1. साहबराम पुत्र बीरबलराम
2. रामेश्वर पुत्र साहबराम
3. दलीप कुमार पुत्र साहबराम

} जाति जाट साकिन दुलमाना तहसील श्पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

4. आर.एम.जी.बी. शाखा दुलमाना

—— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27/3/25

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत निवेदन किया कि चक 5 पी.बी.एन. की जमाबन्दी सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 90/85 में वर्तमान में साहबराम पुत्र बीरबल 480 हिस्सा रामेश्वर, दलीप पिसरान साहबराम 220 हिस्सा जाति जाट साकिन दुलमाना खातेदार राहिन साहबराम 480 हिस्सा, रामेश्वर 110 हिस्सा, दलीप कुमार 100 हिस्सा आर.एम.जी.बी. शाखा दुलमाना मूर्तहीन है भूमि का विवरण निम्नानुसार है :—

पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
54/297 (13)	4 ता 7, 14 ता 17	2.024 हैक्ट.
55/297 (14)	1 ता 25	6.325 हैक्ट.
51/304 (53)	11, 20/2	0.380 हैक्ट.

कुल भूमि 8.729 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला व रास्ता

उक्त रकबा राजस्थान कॉलोनाईजेशन विभाग में चक 5 पी.बी.एन. में 75.00 बीघा 22 एस.टी.जी. में 25.00 बीघा 7 पी.बी.एन. में 7.17 बीघा कुल 107.17 बीघा था जो भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा चक 5 पी.बी.एन., 9 पी.बी.एन. में चला गया जिससे उक्त खाता अपवादित हो गया है। वर्तमान जमाबन्दी में भी खाता संख्या 90/85 अपवादित चला आ रहा है। जिसे बाद सुनवाई दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि तहसीलदार पीलीबंगा (प्रार्थी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा है, परन्तु राज्य सरकार की योजना DILRMP के अन्तर्गत अपवादित खातो का निस्तारण किया जाकर राजस्व अभिलेखों को आन लाईन किया जाना है जिसे हेतु अपवादित खातो का निस्तारण किया जाना आवश्यक होनें से प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:14:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण स्वयं दिनांक 03.01.2023 को उपस्थित आये और अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि प्रार्थीयान के नाम से चक 5 पी.बी.एन. के खाता संख्या 90/85 के पत्थर नम्बर 50/304, 54/357, 51/304 में 45.00 बीघा भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 3 रामेश्वरलाल, दलीप कुमार के नाम से उक्त भूमि करवानें के लिये श्रीमान् ए.सी.सी. बीकानेर में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 11.10.1979 को गिरदावर हल्का द्वारा रिपोर्ट श्रीमान् जी को पेश की गई थी उसमें 210 हिस्सा के स्थान पर 220 हिस्सा का अंकन होने के कारण उक्त खाता DILRMP के अन्तर्गत अपवादित दर्ज हो गया है। अतः चक 5 पी.बी.एन. के खाता संख्या 90/85 को राजस्व रिकार्ड में 220 हिस्सा के स्थान पर 210 हिस्सा का अंकन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवानें के अधिकारी है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब के सन्दर्भ में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त करी गई तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2023/1072 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार चक 5 पी.बी.एन. के खाता संख्या 92 में साहबराम पुत्र बीरबल 6.072 हैक्ट. व रामेश्वर–दलीप 2.657 हैक्ट. बहिस्सा बराबर किये जानें की अनुशंषा की गई है।

प्रकरण के सन्दर्भ में राज पैरोकार को सुना गया दौरानें बहस राज पैरोकार द्वारा कथन किया गया कि राज्य सरकार की योजना DILRMP के अन्तर्गत अपवादित खातो का निस्तारण किया जाकर राजस्व अभिलेखो को आन लाईन किया जाना है जिसे हेतु अपवादित खातो का निस्तारण किया जाना आवश्यक इस सन्दर्भ में अप्रार्थीगण द्वारा भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अतः प्रार्थी (राज पैरोकार) के कथनो पर मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर चक 5 पी.बी.एन. के खाता संख्या 92 में साहबराम पुत्र बीरबल 6.072 हैक्ट. व रामेश्वर–दलीप 2.657 हैक्ट. बहिस्सा बराबर किया जाता है।

तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राज्य सरकार की योजना DILRMP के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख को ऑन लाईन करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में बैंक रहन यथावत रहेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 27/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:14:38 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा